आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं.496/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2017-18

विनय पाटिल रामदेव एरिया मेन गली, बस स्टेशन तहसील सेंधवा, बालवाडी	बनाम	आयकर अधिकारी सेंधवा
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- ईबीएनपीएस 3470 जे PAN - EBNPS3470J		

अपीलार्थी की ओर से :	सुश्री निशा लाहोटी तथा श्री विजय बंसल, प्राधि.प्रति.
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	24.02.2025
उद्धघोषणा तिथि :	27.02.2025

आदेश

निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान अतिरिक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील)-2, कोलकाता के आदेश दिनांक 28.02.2024 के विरूद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया है कि यह अपील 47 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें यह निवेदन किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती की अपील खारिज करते हुए आदेश दिनांक 28.02.2024 पारित किया गया था । यद्यपि, निर्धारिती को इस

संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई तथा वसूली नोटिस दिनांक 07.05.2024 प्राप्त होने के पश्चात ही निर्धारिती को यह पता लगा कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा उसकी अपील निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धनों की पुष्टि करते हुए निर्णयित की है । उसके पश्चात निर्धारिती द्वारा वर्तमान अपील दाखिल की गई है । इस वजह से निर्धारिती को आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने में 47 दिनों का विलंब हुआ। निर्धारिती द्वारा उक्त आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है । निर्धारिती द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील दाखिल करने में विलंब जानबूझकर या साभिप्राय नहीं था अतः उसने इस विलंब को माफ करने हेतु अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के इस अनुरोध पर आपत्ति नहीं की । मैंने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत वजह से हुआ है अतः मैं इस विलंब को माफ करता हूँ तथा अपील सुनवाई हेतु लेता हूँ ।

3. इस अपील के संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024**" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 रसीद सं. 854657440310125 के द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया है । निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 1 की प्रति भी दाखिल की गई हैं । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने की इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः मैं इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करता हूँ ।

4. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किए गए आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किए जाता है ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 27.02.2025 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 27.02.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल